हंसराज बनाम सुरजाराम वगै0 प्रा0 पत्र 212 आरटीए एक्ट दिनांकः 20.08.2020

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के दादा सुरजाराम के चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 के किला नं0 1 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमिहीन आंवटन शुदा है। दादा वृद्ध है तथा प्रार्थी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त परिवार का हिस्सा है तथा प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी का संयुक्त परिवार की भूमि में जन्म से हक एवं अधिकार बनता है। वाहमी व पारिवारिक बंटवारा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 ता 6 में अप्रार्थी सं0 1 रूबरू गवाहान 1/6 हिस्सा–पांति कर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 6 को किला नं0 20 में 8 बिस्वा व किला नं0 21 ता 25 की 18–18 बिस्वा की कुल 4.18 बीघा भूमि देकर काफी अरसे पहले कब्जा दे दिया था जिसपर प्रार्थी कब्जा काश्त है। लेकिन अप्रार्थी सं0 2 ता 5 लालचवश वृद्ध दादा को बरगलाकर समस्त भूमि का बेचान करने पर आमादा है। दौराने वाद उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। इसपर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए। अपनी बहस में बताया कि वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी व स्वंय की अर्जित सम्पति है। जिसे वह उपयोग व उपभोग करने का अधिकारी है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के जीवनकाल में भूमि पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि जैर रकबा अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जो काफी वृद्ध है तथा दादा की सम्पति पोतो का अधिकार सुनिश्चित है। दादा ने वाहमी बंटवारा कर कब्जा दे रखा है या नहीं यह वाद की विषयवस्तु है। दोनो पक्षकारों में भूमि बेचान को लेकर विवाद है। और पारिवारिक सम्पति जिसमें सबका हक निहित हो उसे बिना सहमति हस्तांतरण करने से विवाद बढ़ेगा। उक्त प्रार्थना पत्र में पारिवारिक विवाद है तथा न्यायालय के सामने यह साफ हो गया है कि उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 बेचान करना चाहता है। जो स्वंय अप्रार्थी सं0 1 न्यायालय में स्वीकार कर चुका है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में यह आवश्यक हो जाता है कि विवाद बाहुल्यता कम करते हुए प्रार्थी के हको का दौराने वाद सुरक्षा की जाये। उक्त भूमि स्वअर्जित है या पैतृक सम्पति इसका विनिश्चय वाद में होना है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी सं0 1 को पाबन्द किया जाता है कि चक 6 बी.डी. के मु0नं0 174/6 की 1/6 हिस्सा भूमि का [illegible] रहन बैय हस्तांतरण नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलवाद के साथ [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.01.06 20:27:05 IST
Reason: SelfAttested